कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल –462004
(स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा,म.प्र. भोपाल)

क्रमांक – 553/रूसा/बजट/2016 भोपाल, दिनांक 16-11-16

प्रति,

आहरण एवं संवितरण अधिकारी
DDO Code 0523802006
कार्यालय, संचालक
उच्च शिक्षा, संचालनालय, भोपाल।

विषय :– रूसा कम्पोनेंट VII के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत शासन से प्राप्त केन्द्रांश राशि के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश राशि सहित राशि का आहरण किये जाने विषयक।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा रूसा कम्पोनेंट –VII के अंतर्गत कुल 07 महाविद्यालयों में अद्योसंरचना विकास कार्य हेतु कुल 14.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No. 24-48/2014-U-Policy (MPMulti—Gen) Government of India MHRD, Dept. of HE, (U-policy Section) New Delhi दिनांक 22.08.2016, के द्वारा उक्त अनुमोदित एवं प्रावधानित राशि मे से कुल 07 महाविद्यालय हेतु राशि रूपये 14.00 करोड मे से केन्द्रांश की स्वीकृत राशि 8.20 करोड़ में से पृथम किश्त की (50%) के रूप में भारत सरकार की अंश राशि (60:40) राशि रूपये 4.20 करोड जारी की गई है। उक्त राशि राज्य शासन को प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्राश राशि के विरूद्ध राज्यांश राशि 2.80 करोड की पात्रता है।

इस प्रकार भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि सहित राज्यांश राशि को मिलाकर कुल 7.00 करोड़ राशि का आहरण कोषालय से किया जाना है।

कम्पोनेंट VII अंतर्गत मांग संख्यावार पात्रता राशि/आहरित राशि एवं आहरण हेतु शेष राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.	मांग सख्या	आहरण हेतु पात्रता राशि	पूर्व में आहरित की गई राशि	आहरण हेतु शेष राशि	रिमार्क
	1	2	3	4	5
1	44	5,42,50,000	0.00	5,42,50,000	
2	64	1,05,00,000	0.00	1,05,00,000	
3	41	52,50,000	0.00	52,50,000	
		7,00,00,000	0.00	7,00,00,000	

तृतीय त्रैमास हेतु बजट शीर्ष 44–4202–01–203–7600–45–000 में निम्नानुसार राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या–44 (Gen)	मांग संख्या–64 (S.C.))	मांग संख्या–41 (S.T.)	कुल आवंटित राशि
4,75,00,000	14,38,00,000	6,00,00,000	25,13,00,000

कोषालय से आहरित की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है जो निम्न बजट शीर्ष एवं मांग संख्या अनुसार विकलनीय होगी।

मांग संख्या	बजट शीर्ष	आहरित की जाने वाली राशि
मांग संख्या–64 (S.C.)	64–4202–01–203–7600–0702–45–000	1,05,00,000
मांग संख्या–41 (S.T.)	41–4202–01–203–7600–0703–45–000	52,50,000
कुल योग		**1,57,50,000**

(राशि रूपये एक करोड सत्तावन लाख पचास हजार मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार राशि रूपये एक करोड सत्तावन लाख पचास हजार मात्र राशि का आहरण कर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा कार्यालय के Central Bank of India के बैंक खाता संख्या:3546082969 (IFSC Code:CBIN0283312) में जमा कराया जावे तथा आहरित राशि का व्यय निम्नांकित बिन्दुओं एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जावे।

(1) राशि का आहरण तृतीय त्रैमास अन्तर्गत के पूर्व किया जाना है। अतः कृपया तत्काल आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(2) स्नातक महाविद्यालयों के उन्नयन कार्य हेतु कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव/प्राक्कलन परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। उन्नयन निमार्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के रूसा दिशानिर्देश एवं मानदण्ड अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। प्रदत्त राशि का उपयोग तालिका कं–2 में अंकित कार्यो मे ही किया जावे।

(4) आहरित राशि को व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, (रूसा) भोपाल के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों ओर परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन किया जावे

(5) उन्नयन कार्यो में लगने वाली आवश्यक सामग्रीयों का कय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं भण्डार कय नियमों के अधीन किया जावे।

(6) व्यय राशि एव कय सामग्री का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित यथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें, ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को यथा समय उपलब्ध कराया जा सके, एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो सके।

(7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे ।

(8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की तथा संबंधित परियोजना कियान्वयन एजेन्सी होगी ।

"संचालक द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ०क० 554 / 30/रूसा/बजट/2016 भोपाल, दिनांक 16-11-16

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री,मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अंभियान, रूसा भोपाल।
4. निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,नई दिल्ली

5. अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,उच्चतर शिक्षा विभाग,नई दिल्ली।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
7. परियोजना निदेशक, (पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग,निर्माण भवन, भोपाल।
8. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
9. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा भोपाल।
10. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही ।
11. बजट शाखा प्रभारी,उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर बजट अपलोड की आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन मध्यप्रदेश भोपाल ।

17/1/16

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश